UPKR010005352026

न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, कासगंज।

पीठासीन अधिकारी–रामेश्वर (एच0जे0एस0)

I.D. No. UP6537

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–304 / 2026

लकी यादव उर्फ अवनेश कुमार पुत्र किशनपाल निवासी ग्राम कासौन थाना बागवाला जिला एटा।

बनाम

1–उ0प्र0राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) जिला–कासगंज।

2–देवेन्द्र सिंह ग्राम प्रधान पुत्र राजकुमार सिंह निवासी ग्राम सिकन्दरपुर मनौना, थाना–पटियाली, जिला–कासगंज।

अपराध संख्या–05 / 2026
धारा–308(5),351(3),352,191(2),बी.एन.एस.
थाना–पटियाली, जिला–कासगंज।

09.03.2026

1– प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त लकी यादव उर्फ अवनेश कुमार की ओर से अपराध संख्या–05 / 2026, धारा–308(5),351(3),352,191(2),बी.एन.एस., थाना–पटियाली, जिला– कासगंज के मामले में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता ''दाण्डिक'' को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

3– संक्षेप में मामले में तथ्य इस प्रकार है कि वादी मुकदमा देवेन्द्र सिंह ग्राम प्रधान द्वारा एक तहरीर सम्बन्धित थाने पर इस आशय की दी गयी कि वह ग्राम सिकन्दपुर मनौना निवासी का है, वर्तमान में ग्राम प्रधान है। ग्राम नवादा भी उसकी ग्राम पंचायत का मजरा है। वहां एक गौशाला है, उसकी देखरेख वही करता है। दिनांक 30.12.2025 को लकी यादव व संगम ठाकुर अपने साथियों के साथ उसके पास आये थे उसने कहा कि आप हमें जानते है मुझे लकी यादव कहते है। जितनी भी आस पास की गौशाला है वो सभी हमें महीनादारी देते हैं। उसे उसकी गौशाला से 50000 रूपये हर महीने चाहिए नहीं तो उसे जान से हाथ धोना पड़ेगा। डर की वजह से उसने उन्हें 5000 रूपये अपनी जान का खतरा देखते हुए दे दिये थे। लेकिन उनके द्वारा कहा गया कि यदि प्रधान जी आपके द्वारा 03 जनवरी तक रूपये नहीं दिये तो 04 जनवरी को वह अपने साथियों के साथ जो गौवंश खेतो में गडे है उनको उखडवाकर अपने साथियों के साथ मिलकर हगामा करूंगा और तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। दिनाँक 04.01.2026 को समय

Digitally signed by RAMESHWAR
Date: 2026.03.09 16:58:56 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

करीब 11 बजे बृहद गौशाला पर आ गये और लकी यादव पुत्र नामालूम पता नामालूम अपने साथियों के साथ आकर गौशाला पर कुछ दूरी पर खाली खेत में दबे मृत गौवंश व कंकालो को उखाड़ दिया और अपने तीस चालीस साथियों को बुला लिया और हंगामा किया। पुलिस और एसडीएम साहब के पहुंचने पर ये लोग वहां से चले गये। आज फिर लकी यादव, संगम ठाकुर के साथ आया था फिर गाली गलौज करते हुए रूपये की मांग की और कहा कि पैसे तो तुझे देने पड़ेगें और तुझे जान से हाथ थोना पड़ेगा। एक दो दिन का समय तेरे पास है। पैसे दे दो नहीं तो पहले ज्यादा हंगामा करेंगें। इन लोगों को वह सामने आने पर शकल सूरत से पहचान लेगा। उसे अपनी जान का खतरा बना हुआ है। ये उसके साथ कोई भी अनहोनी कर सकते हैं और गौशाला पर कोई घटना घटित करा सकते हैं। सूचना दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने की याचना की। वादी के उक्त तहरीर के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी।

4— अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में यह तर्क लिये गये हैं कि प्रार्थी/अभियुक्त कतई निर्दोष है एवं मुकदमा उपरोक्त में उसे झूंठा फंसा फंसाया गया है। उसने उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। उक्त मामले में कथित घटना दिनांक 30.12.2025 की दिखाई गयी है जवकि प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 09.01.2026 को पंजीकृत हुई है। डिले ऑफ रिपोर्ट है, जिसका कोई स्पष्टीकरण प्राथमिकी में अंकित नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कोई भी वादी मुकद्दमा मृत्यु एवं घोर उपहति के भय में डालकर उद्दापन नहीं किया गया है और ना ही कोई जान से मारने की धमकी दी गयी है और ना ही गाली गलौज की गयी है। उस पर लगाये गये आरोप कतई झूठे व निराधार है। वादी मुकद्दमा द्वारा कोई संपत्ति प्रार्थी/अभियुक्त को प्रदत्त नहीं कराई गयी है और ना ही प्रथम सूचना रिपोर्ट में कोई भी साक्षी प्रदर्शित किया गया है, जिसके सामने वादी मुकद्दमा द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त को 5000/— रूपये मृत्यु का भय होने पर दिये गये हो। प्रार्थी/अभियुक्त गौरक्षा सेवा समिति का प्रमुख है एवं वादी मुकद्दमा नवादा गांव की गौशाला की देखरेख करता है जिसकी अनियमितता एवं गौवंश मरने की शिकायत उच्च अधिकारियों एवं सोशल मीडिया के माध्यम से की गयी तथा जांच में शिकायत सही पाई गयी और गौवंश के अवशेष मिलने पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा ग्राम सचिव को निलम्वित किया गया और दो अन्य के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसी कारण वादी मुकद्दमा ने अपने पद का दुरूपयोग करते हुए पुलिस से मिलकर झूठा मुकद्दमा पंजीकृत कराया है। नो इंजरी मामला है। उक्त मामले में सह अभियुक्त संगम की रेगूलर जमानत इस न्यायालय से दिनांक 2201.2026 को जमानत प्रार्थना पत्र सं० 74/2026 में स्वीकार की गयी है। उक्त मामले में वह मौके पर गिरफ्तार नहीं है। मामला मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्थाएँ Satendra Kumar Antil V/s Central Bureau of Investigation & Anr] Special Leave to Appeal (Crl.) No- 5191/2021 निर्णीत दिनांक 07.10.2021 के अनुपालन में उसको जमानत पर रिहा किया जाना अति आवश्यक है। वह दिनांक 23. 02.2026 से जिला कारागार कासगंज में निरूद्ध है। उसके आपराधिक इतिहास के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। वह अपनी जमानत कराने को तैयार है और अपनी जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5— विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त सह अभियुक्तगण के साथ वादी की गौशाला पर आया और चौथ के रूप में

पचास हजार रूपये प्रतिमाह की मांग की और पांच हजार रूपये ले लिये तथा बांकी रूपये की पुनः मांग की और न देने पर गाली गलौज करते हुये जान से मारने की धमकी दी। अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

6– पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया विदित है कि प्रश्नगत घटना दिनांक 30.12.2025 की है जिसकी तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 09.01.2026 को विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। तहरीर में वर्णित कथनानुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध सहअभियुक्त के साथ मिलकर वादी से चौथ के रूप में पचास हजार रूपये प्रतिमाह की मांग करने व मृत्यु का भय दिखाकर पांच हजार रूपये की बसूली करने शेष रूपये की मांग पूरी न होने पर गाली गलौज करते हुये जान से मारने की धमकी दिये जाने के अभियोग हैं। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा पॉच हजार रूपये की चौथ बसूली करना बताया गया है, किन्तु प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से कोई बरामदगी दर्शित नहीं की गयी है और ना ही वादी को चोट कारित होना बताया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 23.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। सह अभियुक्त संगम चौहान की जमानत दिनांक 22.01.22026 को स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है।

7– अतः मामले के तथ्यों परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर बिना राय व्यक्त किये हुये अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त लकी यादव उर्फ अवनेश कुमार द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त को मुब0 75,000/–रूपये (पचहत्तर हजार रूपये) का स्वबंधनामा तथा समान राशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर निम्न शर्तो के अधीन जमानत पर रिहा किया जाये –

1– दौरान विवेचना किसी प्रकार से साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा और विवेचना में सहायता प्रदान करेगा।

2– आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किये जाने की दशा में आरोप की सुनवाई तक वह प्रत्येक नियत दिनांक पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

3– दौरान विचारण साक्षीगण के उपस्थित आने पर वह किसी प्रकार का स्थगन प्रस्तुत नहीं करेगा तथा दौरान वाद निवास स्थान को परिवर्तित करने की दशा में विवेचक/न्यायालय को सूचित करेगा।

उक्त शर्तो के उल्लंघन पर विचारण न्यायालय अभियुक्त की जमानत निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में यथोचित आदेश पारित कर सकेगा

(रामेश्वर)
सत्र न्यायाधीश,
कासगंज।
09.03.2026

स्टेनो–रामेश्वर दयाल